राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में जॉब वर्क संबंधी घोटालों की जांच

1693. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मध्य प्रदेश स्थित मिलों में जॉब वर्क में किए गए घाटालों की जांच कब से चल रही है। और इन घोटालों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त होने की जानकारी मिली है;

(ख) इन घोटालों की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब सौंपा गया था और उनके द्वारा जांच रिपोर्ट कब सौंपी गई थी तथा इसमें किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया है;

(ग) इन घोटाले के अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) निगम के उप महाप्रबंधक, श्री कपूर द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम रहा तथा उनकी बीमारी के इलाज पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) से (घ) इन्दौर की स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स को छोड़कर जहां 3194 कि०ग्रा० यार्न की कमी हुई है मध्य प्रदेश की एन टी सी मिलों में जॉब वर्क में कोई घोटाला नहीं हुआ है। इसमें 1.94 लाख रुपए की राशि ग्रस्त है। जांच के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 17 नवम्बर 1995 को केस दर्ज किया था तथा श्री जे एन कपूर, उपमहाप्रबंधक स्वदेशी टैक्सटाइल इन्दौर के विरुद्ध भारी दण्ड के लिए नियमित विभागीय कार्यवाही का सुझाव दिया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर श्री जे एन कपूर के विरुद्ध दिनांक 31.7.96 को विभागीय जांच शुरु की थी जांच प्रक्रिया दिनांक 17 जुलाई, 1997 को पूरी हो गई है तथा जांच रिपोर्ट शीघ्र अपेक्षित है। उनके उपचार पर 1994-95 से 2,59,470.00 रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

Rehabilitation of Child Labour in Textile Industry

1694. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of child workers are employed in the textile industry;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) what steps are taken by Government to remove child labour; and

(d) what are Government's plans for rehabilitation of child labour?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) A survey conducted by National Council for Applied Economic Research, New Delhi in 1994 reveals that, 2.7% of the work-force engaged in carpet industry of Uttar Pradesh are hired child labour. However, state-wise figures are not available on child labour employed in the carpet industry.

(c) The steps taken by the Government to remove child labour from the Indian carpet industry include: enforcement of child labour laws; compulsory registration of carpet exporters with the Carpet Export Promotion Council (CEPC); inspection of registered looms and introduction of "Kaleen" label on export of carpets as a hallmark of commitment towards elimination of child labour from the carpet industry.

(d) To rehabilate the child labour weaned away from capret industry, the steps taken by the Government in Textiles Ministry are as follows:

(i) creation of welfare fund by Carpet Export Promotion Council for children weaned away from the carpet industry;

(ii) from the welfare fund, opening of schools in the carpet producing belts of the eastern part of Uttar Pradesh; and

(iii) from the welfare fund, provision of mid-day meal and a stipend of Rs.100/—per month to the children withdrawn from the carpet trade.

विद्युत करघों का पंजीकरण

1695. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत करघों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने विद्युत करघों का पंजीकरण किया गया है,

(ग) यदि हां, तो विद्युती करघों की संख्या प्रति वर्ष तेजी से बढ़ रही है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड़) इनमें वर्ष-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) जी, नहीं। तथापि वस्त्र (विकास एवं विनिमयन) आदेश, 1993 के खंड 6(1) के अनुसार कोई व्यक्ति केन्द्र या राज्य के कानून के उपबंधों के अध्यधीन लघु उद्योग क्षेत्र में बिजली चालित करघा स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे अधिसूचित अधिकारी को कार्य। में सूचना ज्ञापन दाखिल जिसके क्षेत्राधिकार में पावरलूम लगाया गया है जिसकी एक प्रति वस्त्र आयुक्त, मुंबई को देगा और प्रत्येक व्यक्ति गैर लघु औद्योगिक एककों (उपबंध में उल्लिखित एककों से भिन्न एकक) में पावरलूम लगाने पर वस्त्र आयुक्त, मुंबई को फार्म। में सूचना ज्ञापन दाखिल करेगा, बशर्ते कि इस उपखंड में निहित कोई भी बात नगर की परिधि से 25 किलोमीटर के भीतर स्थित गैर लघु औद्योगिक एककों के मामले में लागू नहीं होगी यदि ऐसे औद्योगिक एकक जुलाई, 1991 के 24 वें दिन से पहले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट "औद्योगिक क्षेत्रों" के भीतर अवस्थित नहीं है और पूर्वोक्त पावरलूम की ऐसे औद्योगिक एकक में स्थापना को औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया गया हो। सूचना ज्ञापन पावरलूम स्थापना के 30 दिन के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है (**नीचे** देखिए);

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों में पावरलूमों की संख्या में प्रति वर्ष 3% औसत दर से वृद्धि हुई है। विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में पावरलूमों की स्थापित/पंजीकृत क्षमता 1994 में 31048 तक 1995 में 51281 तक और वर्ष 1996 में (सितंबर 1996 तक) में 36694 तक वृद्धि हुई है। इसलिए वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान प्रतिशतता क्रमशः 2.42% 3.90% और 2.69% बनती है। विगत तीन वर्षों में समग्र वृद्धि 9.28% हुई है।

(ड़) पावरलूमों द्वारा दिए गए रोजगार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि इस अनुमान पर विचार करते हुए कि एक पावरलूम औसतन 5 व्यक्तियों/कामगारों को सीधे रोजगार देता है अर्थात् 2.5 व्यक्ति बुनाई पूर्व और 2.5 व्यक्ति बुनाई, पैकिंग, विपणन आदि के लिए 30.9.1996 की स्थिति के अनुसार देश में पावरलूमों में लगे कामगारों की कुल संख्या का अनुमान लगभग 70 लाख लगाया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित/पंजीकृत विद्युतकरघों की संख्या राज्यवार निम्नानुसार है:—

क्र०सं०	राज्य/संघशासित का नाम	संचयी		
		1994 31.12.94 के अनुसार	1995 31.12.95	1996 30.9.96 तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41371	43440	43440
2.	असम	2726	2726	2726
3.	बिहार	2850	2870	2870
4.	गोवा	122	122	122
5.	गुजरात	293491	302280	304509
6.	हरियाणा	9880	9882	9882
7.	हिमाचल प्रदेश	1302	1302	1302
8.	जम्मू कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	54394	57112	58611
10.	केरल	2026	2304	3195
11.	मध्य प्रदेश	33807	34593	36301
12.	महाराष्ट्र	514302	546110	568127
13.	उड़ीसा	3205	3223	3247
14.	पंजाब	21862	21980	22158
15.	राजस्थान	30915	31471	32868
16.	तमिलनाडु	229732	233842	240579
17.	उत्तर प्रदेश	65366	65366	65366
18.	प० बंगाल	4212	4223	4237
19.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
20.	दिल्ली	1102	1102	1102
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
23.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
25.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
26.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
	संघशासित प्रदेश			
27.	चंडीगढ़	42	42	42
28.	दादर नगर हवेली	464	464	464
29.	पांडिचेरी	830	830	830
30.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	अंडमान तथा निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	1314003	1365284	1401978

Revival of Sick Jute Mills

1696. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what steps Government have taken so far to revive the sick jute mills; and

(b) what are the steps proposed to be taken to reorganise the Jute Industry on a firm ground?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) As per the existing statute case for every sick unit is referred to BIFR which is a quasi judicial body to examine the cases of rehabilitation of such sick units. Revival schemes of the sick units are prepared/ examined by the operating agency, appointed by BIFR, which is normally a financial institution. On the receipt of the scheme BIFR decides the cases of rehabilitation of the individual units. In addition to above the following measures have also been taken to help revival of sick units:—

(i) Limited demand stimulation by enacting Jute Packaging Materials (Compulsory Use of Packing Commodities) Act, 1987.